

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज</p>	<p>नम्बर व त अहकाम जे हुक्म की त में जारी</p>
------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

वादीन



R.T. पेदीवारि



R.T. टलडी

जीवा

Rekhamal
Manisha

Indrany
C & Phary

प्रतिवादी



L.T. भगशय

अधिवक्ता

27/1/2022

पतावली आज पेथ डई।
 वादीनी पेदीवारी वा. छोगाराम जी
 6 लकी, जीवा, पुत्री छोगाराम जी मृत
 बुटी पुत्री छोगाराम के वारिसान भैराराम
 पुग बुटी व रेखा पुत्री बुटी मृत खुनी
 पुत्री छोगाराम के वारिसान मनीषा पुत्री
 खुनी जरिये खरक्षक मारी वादी खख्या की
 जीवा तमाम जाति गण माली निण बाडोल
 तटसील देरूरी व प्रतिवादी गण अनाराम
 पुग छोगाराम माली निवासी बाडोल तटसील
 देरूरी व वादी व प्रतिवादी गण के अधिवक्ता
 उपस्थित होकर अनवान पेदी व अन्य बचान
 अनाराम व अन्य वाद अन्तर्गत धारा 88, 89
 93, 91, 92 A, 188, RTA व राजस्वान कारतमारी
 अधिनियम 1955 मे डाबिता - पग वास्ते वाद
 विद्रोवल करने बावत। इस आर्य का उत्तुत
 किया कि उक्त अनवान का वाद न्यायालय
 मे विचाराधीन है। जिसकी पेथी आज ही नियत
 जिसमे दोनो पक्षो के मध्य आपस मे राजीनामा
 हो गया है। दोनो पक्षो मे राजीनामा होने
 से उलखण आगे चलाना नही चाहते है।
 जिससे उलखण जरिये विद्रोल खवारिज करवाना
 चाहते है। मुकदमा का पक्षकारान खर्चा
 अपना-अपना बटन करेगे। वाद जरिये
 विद्रोल खवारिज करवाया जावे।
 वादीनी व अन्य नादी गणो व प्रतिवादी गण
 के डाबिता पग पर वादीनी व अन्य को सुना
 गया। वादीनी व अन्य की इखतडुका अनुसार
 वाद वादीनी व अन्य जरिये विद्रोवल
 खवारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास
 सुनाया गया। पतावली फेरतल मुभार होकर
 नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
 (एस.डी.ओ.) देरूरी (बा.)

